

उत्तराखण्ड शासन  
पंचायतीराज अनुभाग-1  
संख्या: /XII(1)-2014-86(17)/2013  
देहरादून, दिनांक: 26 मई, 2014  
अधिसूचना  
उप निर्वाचन

उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) की धारा 12-ख ख की उपधारा 3 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त तथा यथा संशोधित) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में क्रमशः सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत, के रिक्त पदों/स्थानों पर उपनिर्वाचन के लिए श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित समय सारिणी निर्धारित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	नामांकन की तिथि	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	नाम वापसी की तिथि	प्रतीक आवंटन की तिथि	मतदान की तिथि	मतगणना की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	04.06.2014 से 05.06.2014	06.06.2014	07.06.2014	09.06.2014	18.06.2014	20.06.2014

(विनोद फोनिया)  
सचिव

संख्या: 1110/XII(1)-2014-86(17)/2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल-पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल-नैनीताल।
8. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
10. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
11. जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
12. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मा0 पंचायतीराज मंत्री जी उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लिथो प्रेस रूड़की को इस आशय प्रेषित है कि अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करवाकर 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)  
सचिव।